पoसंo–15/डीoएलoएo, दरभंगा (अरई पुल)– 124/2013 –1547/राo, पटना–15,दिनांक–19/06/2013

(2)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या एस0 ओ0../रा0, पटना दिनांक ....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम अरई, परगना शाहजहाँपुर, थाना सिंहवाड़ा, थाना नं0 137, जिला–दरभंगा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात–अरई सढ़वारा पथ में सरवर सेतु पर निर्माणाधीन पुल हेतु सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव–अरई के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 0.30 एकड़ के बराबर होता है और जिसमें 0.30 एकड़ भूमि कृषि योग्य है, ली जाने वाली भूमि का खेसरा नं0 निम्नलिखित है एवं जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

अंश खेसरा – 6504, 6498, 6508, 6511, 6510, 6509

पूर्ण खेसरा – X

चौहद्दी :–

उ0 – खे0 नं0– 6495
द0 – खे0 नं0– 2163
पू0 – खे0 नं0– 6510 वगैरह
प0 – खे0 नं0– 6507 वगैरह

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 की धारा 4 (चार) के उपबंधो के अधीन जैसा कि (बिहार अधिनियम, 11,1961 द्वारा यथा संशोधित) एवं भू–अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इन से संबध हो। उक्त भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी,दरभंगाके कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे पदाधिकारीयों एवं स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियमों की (धारा)–4 की उपधारा (2) में यथा उपबधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भुमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता हैं कि उक्त अधिनियम की घारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29/4/13	27-4-13	29.4.13		
अमीन,	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा।	अपर समाहर्त्ता, दरभंगा।	स मा ह र्त्ता, दरभंगा।	अवर सचिव, बिहार सरकार।

कृ0पृ0उ0

ज्ञा0सं0–15/डी0एल0ए0, दरभंगा (अरई पुल)– 124/2013 –1547–/रा0, पटना–15,दिनांक–19/06/2013

प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, दरभंगा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

13/6/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।